

फर्द अहकाम
नियम (26)
अज अदालत.अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मुकाम.पोकरण।
भंवरलाल बनाम् बालूराम व अन्य
दीवानी प्रकीर्ण अपील आदेश संख्या:-02 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जे इस हुक्म की तामील में जार हुए
	<u>दिनांक-08.08.2018</u> अपीलार्थी अधिवक्ता श्री सरवरखॉ मेहर तथा प्रत्यर्थीगण अधिवक्ता श्री धीरसिंह राठौड मय प्रत्यर्थी संख्या एक बालूराम उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी बालूराम व शेष प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता धीरसिंह राठौड ने एक राजीनामा प्रस्तुत किया। जिसके मुताबिक भंवरलाल के मकान के पूर्व दिशा में एक परनाल है। जिसमें बैण्ड लगाकर भंवरलाल के मकान का पानी उत्तर की तरफ गली में उतरेगा, जिसे प्रत्यर्थी बालूराम वगैरह ताफैसला मूल दावा बाधित नहीं करेंगे तथा यह राजीनामा मूल दावा के फैसले के अध्याधीन रहेगा तथा इस राजीनामा के किसी भी तथ्य का प्रभाव मूल दावे पर प्रतिकूल रूप से नहीं पड़ेगा। उक्त राजीनामा पक्षकारान ने स्वेच्छिक तौर पर करना जाहिर किया है और यह भी जाहिर किया कि मौके पर तदनुसार परनाल में बैण्ड लगाकर उत्तर दिशा में गली की ओर पाईप भी उत्तार दिया गया है। चूँकि पक्षकारान के बीच में राजीनामा हो चुका है। अतः राजीनामा के अनुसार यह फैसला निस्तारित समझा जावे। उपरोक्तानुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। आदेश प्रति सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जावे।	

--	--	--	--